



सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस
दिनांक -08.02.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 05 अभियोगों में 10 अभियुक्तगणों को मान0 न्यायालय द्वारा कुल 22,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है -

प्रकरण प्रथम- थाना सिरसाकलार में मु0अ0सं0 निल/2002 (वाद संख्या - 224/02) धारा 323/504 भादवि बनाम लल्लू पुत्र परमसुख नि0 ग्राम रनियां थाना सिरसाकलार जनपद जालौन पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जे.एम. जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त लल्लू उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय- थाना कोतवाली जालौन में मु0अ0सं0 316/05 (वाद संख्या - 642/05) धारा 323/325/504/506 भादवि बनाम 1. तौफीक अहमद पुत्र वली मुहम्मद 2. लला उर्फ लतीफ पुत्र सफी नि0गण मो0 भवानीराम थाना जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जे.एम. जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. तौफीक 2. लला उपरोक्त को दोषी पाते हुये कुल 6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय- थाना गोहन में मु0अ0सं0 176/91 (वाद संख्या - 75/92) धारा 323/504/506/452 भादवि बनाम 1. रामस्नेही पुत्र पुनू 2. लक्ष्मण दास पुत्र छुडन नि0गण मडोरी थाना गोहन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जे.एम. जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. रामस्नेही 2. लक्ष्मण दास उपरोक्त को दोषी पाते हुये कुल 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण चतुर्थ- थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 29/05 (वाद संख्या - 440/2005) धारा 323/504/506 भादवि बनाम 1. रमेश उर्फ मुन्ना पुत्र शिव सिंह 2. शिव सिंह पुत्र अनेक सिंह 3. रघुराज सिंह पुत्र रामचरन नि0गण मडौरा थाना कुठौन्द जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जे.एम. जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. रमेश 2. शिव सिंह 3. रघुराज सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये कुल 6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण पंचम- थाना कुठौन्द में मु0अ0सं0 62/92 (वाद संख्या - 187/1993) धारा 336/504/506 भादवि बनाम 1. औकार सिंह पुत्र बलवीर 2. प्रमोद कुमार पुत्र मुन्नीलाल नि0गण हरदोई राजा थाना जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जे.एम. जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. औकार सिंह 2. प्रमोद कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये कुल 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।